न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 84/2021/दावा/बउनवान/घनश्याम वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0
जीसीएमएस संख्या 2021/118

1. घनश्याम पुत्र गोपाल
2. चौथमल पुत्र गोपाल
3. सरवन पुत्र गोपाल
4. प्रकाश पुत्र गोपाल
5. गीता बाई पुत्र गोपाल
6. छीता बाई पुत्री गोपाल
7. जगदीश पुत्र गोपाल

जाति नायक निवासीगण भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

...........वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन
2. कविता बाई पुत्री रामरतन
3. प्रमिला पुत्री रामरतन
4. ममता बाई पुत्री रामरतन
5. रूकमणि बाई पत्नि स्व0. रामरतन
6. रिंकू बाई पुत्री रामरतन

जाति नायक निवासीगण भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

..........प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी.एक्ट.

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांक: 23.07.2021

निर्णय दिनांक : 16.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 6 के शामलाती खाते की आराजी खाता सं. 347 खसरा नम्बर 420 रकबा 2.77 हेक्टयर किता 1 रकबा 2.77 हैक्टयर वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है मौके पर वादीगण बाहमी बंटवारा करके काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन मेड बन्दी को लेकर वाद विवाद होता आ रहा है प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करना चाहते है।
2. यह कि शामलाती खाता होने से अन्य काश्तकारी योजनाओं और राजस्व कर भू–सुधार इत्यादि कार्य करने में भी वादीगण को परेशानियों का सामना करना पड रहा है वादीगण लडाई झगडा वाद–विवाद नहीं करना चाहते है इसलिए अपना खाता पृथक कराकर पृथक से ही खाते दर्ज कराना चाहते हैं।
3. यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 वादीगण के 1/2 हिस्से पर शामलाती खाता होने से कब्जा करना चाहते है आये दिन मेडबन्दी को काटते रहते हैं इसके लिये भी एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 6 प्रसारित करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

4. यह कि वाद कारण दिनांक 06.07.2021 को प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर विभाजन कराने के लिये कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट मना कर कहने पर कि "तुम तुम्हारा खाता पृथक करा लो हमे कोई लेना–देना नहीं है।
5. यह कि न्यायालय श्रीमान को वाद–पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
6. यह कि वाद–पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायें।

(अ) यह कि आराजी वादग्रस्त वाके माल भगवानपुरा खाता संख्या 347, खसरा नम्बर 420 रकबा 2.77 हेक्टयर किता 1 रकबा 2.77 हैक्टयर से वादीगण का हिस्सा 1/2 पृथक करके पृथक से खाता दर्ज करने एवं लगान नक्शा कायम करने की डिक्री प्रसारित करें।

(ब) यह कि एक डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 6 स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करे कि वादीगण के हक व हिस्से की भूमियों में जबरन बल पूर्वक दखलअंदाजी/मदालखत न करे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण 02.03.2022 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली कोर्ट कैम्प बोहत में आज दिनांक 15.04.2025 को पेश हुई। चूंकि पूर्व में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है एवं प्रतिवादी कम 1 ने स्वयं कोर्ट कैम्प में उपस्थित होकर वाद पत्र से सहमति प्रस्तुत की। अतः वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 347 खसरा नं. 420 रकबा 2.77 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 में यदि मौके के अनुसार अथवा अच्छी मे से अच्छी अथवा बुरी मे से बुरी रखते हुए विभाजन प्रस्ताव कोर्ट कैम्प बोहत में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को कोर्ट कैम्प बोहत में मजमेआम आदेश दिये गये। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया कि तदनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर कोर्ट कैम्प में पेश करे।

पटवारी, पटवार मण्डल बोहत तहसील मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल के आराजी खाता सं0 347 का बंटवारा निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जाता है:–

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
1.	घनश्याम पुत्र गोपाल	1/7	420	1.3850	पूर्व
2.	चौथमल पुत्र गोपाल	1/7			
3.	जगदीश पुत्र गोपाल	1/7			
4.	प्रकाश पुत्र गोपाल	1/7			
5.	सरवन पुत्र गोपाल	1/7			
6.	गीता बाई पुत्री गोपाल	1/7			
7.	छीताबाई पुत्री गोपाल जाति नायक सा.देह खातेदार	1/7			
			किता 1	रकबा 1.385	

यालय उपख

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
प्रतिवादीगण					
1.	ओमप्रकाश पुत्र रामरतन	7/12	420	1.3850	पश्चिम
2.	कविता बाई पुत्री रामरतन	1/12			
3.	प्रमिला बाई पुत्री रामरतन	1/12			
4.	ममता बाई पुत्री रामरतन	1/12			
5.	रिंकूबाई पुत्री रामरतन	1/12			
6.	रूकमणीबाई पत्नि स्व.रामरतन जाति नायक सा.देह रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा बोहत 7/24 ओमप्रकाश का।	1/12			
			किता–1	रकबा 1.385	

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को कोर्ट कैम्प बोहत में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इबादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 84 / 2021 / दावा / बउनवान / घनश्याम वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0

जीसीएमएस संख्या 2021 / 118

निर्णय दिनांक :– 16.04.2025

बउनवान:–

1. घनश्याम पुत्र गोपाल
2. चौथमल पुत्र गोपाल
3. सरवन पुत्र गोपाल
4. प्रकाश पुत्र गोपाल
5. गीता बाई पुत्र गोपाल
6. छीता बाई पुत्री गोपाल
7. जगदीश पुत्र गोपाल

} जाति नायक निवासीगण भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

...........वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन
2. कविता बाई पुत्री रामरतन
3. प्रमिला पुत्री रामरतन
4. ममता बाई पुत्री रामरतन
5. रूकमणि बाई पत्नि स्व0 रामरतन
6. रिंकू बाई पुत्री रामरतन

} जाति नायक निवासीगण भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.........प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी.एक्ट.

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

कोर्ट कैम्प बोहत में प्रतिवादी कम 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.03.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकी जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प बोहत में पटवारी, पटवार मण्डल बोहत से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल का पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
1.	घनश्याम पुत्र गोपाल	1/7	420	1.3850	पूर्व
2.	चौथमल पुत्र गोपाल	1/7			
3.	जगदीश पुत्र गोपाल	1/7			
4.	प्रकाश पुत्र गोपाल	1/7			
5.	सरवन पुत्र गोपाल	1/7			
6.	गीता बाई पुत्री गोपाल	1/7			
7.	छीताबाई पुत्री गोपाल जाति नायक सा.देह खातेदार	1/7			
		किता 1		रकबा 13850	

उपखण्ड

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
प्रतिवादीगण					
1.	ओमप्रकाश पुत्र रामरतन	7/12	420	1.3850	पश्चिम
2.	कविता बाई पुत्री रामरतन	1/12			
3.	प्रमिला बाई पुत्री रामरतन	1/12			
4.	ममता बाई पुत्री रामरतन	1/12			
5.	रिंकूबाई पुत्री रामरतन	1/12			
6.	रुकमणीबाई पत्नि स्व.रामरतन जाति नायक सा.देह रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा बोहत 7/24 ओमप्रकाश का।	1/12			
			किता–1	रकबा 1.3850	

उक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनाना	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बवत इजराय हुकमनामा	....			बवत इजराय हुकमनाना	....		
मुतफर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।